उनवान:- रामसिंह बनाम पूरण

मु0नं0 88/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक:- 28.08.2023

मु0नं0 88/2023

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रामसिंह पुत्र नारायण मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम। (सायल)

बनाम

1. पूरण पुत्र किरोडी जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम।
2. रीना पत्नि पूरण जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायल

निर्णय

दिनांक 31.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नांगल मांडल की आराजी ख0नं0 1570/0.37, 1571/0.01, 1572/0.24, 335/0.11, 676/0.30, 753/0.14, 754/0.14, 809/0.14, 811/0.25, 833/0.25, 938/0.19 मे सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा बकिया हिससे के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी सायल व अन्य सहखातेदार काश्तकार के कब्जे है, जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, और बाहमी बटवारे मे वर्णित आराजी मे से ख0नं0 676 व अन्य आराजी आयी है। जिस पर सायल काबिज एवं वखील है।

यह है कि गैरसायलान लठैत गिरोहबन्ध राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा व सायल को हैरान परेशान कर सायल की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू है। सायल द्वारा ख0नं0 676 मे पाटौर पोश निर्माण कर रखा है सिके बाद उक्त पाटौर पोश को उतरवाकर पक्का निर्माण करवाया है। निर्माण पीछे की तरफ 4 फिट छोडकर निर्माण किया है। जिस पर गैरसायलान गलत व अवैध रूप से बिना अधिकार के कब्जा करने पर उतारू है।

मौका दिनांक 04.08.2023 का है कि सायल ख0नं0 676 के कृषि विकासार्थ बने मकानियत के पीछे की दीवार मे रिस रहे पानी को बंद करने गया तो गैरसायलान गाली गलौच करने लगे और कहने लगे की यह जगह हमारी है इसलिये उक्त आराज़ी पर कब्जा करके तुम्हारी दीवार के सटवा नीव खोदकर निर्माण करके रहेगे इस पर सायल द्वारा गणमान्य व्यक्तियो को एकत्रित कर गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तेयार नही है तथा आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा है। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्राईमाफेसी कसे सायल के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन [illegible] कि [illegible]सायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान के कब्जे काश्त की आराजी [illegible] ख0नं0 676 रकबा 0.30 है0 सायलान के हिस्से की आराजी [illegible] प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। सायल के मकान की [illegible]वार के लगवा नीव नही खोदकर निर्माण कार्य नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित हुये, उसके उरान्त अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा बकिया हिससे के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, और बाहमी बटवारे मे वर्णित आराजी मे से ख0न0 676 व अन्य आराजी आयी है। जिस पर सायल काबिज एवं दखील है। गैरसायलान सायल को हैरान परेशान कर सायल की आराजी ख0न0 676 पर कब्जा करने पर उतारू है। सायल द्वारा ख0न0 676 मे पाटौर पोश निर्माण कर रखा है जिसके बाद उक्त पाटौर पोश को उतरवाकर पक्का निर्माण करवाया है। निर्माण पीछे की तरफ 4 फिट छोडकर निर्माण किया है। जिस पर गैरसायलान गलत व अवैध रूप से बिना अधिकार के कब्जा करने पर उतारू है। सायल ख0न0 676 के कृषि विकासार्थ बने मकानियत के पीछे की दीवर मे रिस रहे पानी को बंद करने गया तो गैरसायलान गाली गलौच करने लगे इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्राईमाफेसी कसे सायल के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को पाबन्द किया जावे कि ख0न0 676 मे सायलान के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। सायल के मकान की दीवार के लगवा नीव नही खोदकर निर्माण कार्य नही करे।

सायल वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम नांगल मांडल की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 676 रकवा 0.30 है0 मे सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन गैरसायलान दर्ज रिकार्ड नही है, गैरसायलान प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित होने के बाद अनपस्थित न्यायालय रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वर्णित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का होता तो न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करते। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नागल मांडल की आराजी ख0न0 676 रकवा 0.30 है0 मे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, व वर्णित आराजीयात मे निर्माण नही करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिख कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी